

Arbitration, Conciliation & Alternate Dispute Resolution System : 2011

- नोट-** किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
1. भारत में मध्यस्थम् विधि के विकास एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
Describe the scope and development of Arbitration Law in India.
 2. मध्यस्थम् अधिकरणों की अधिकारिता की व्याख्या कीजिए।
Discuss the jurisdiction of the arbitral Tribunals.
 3. मध्यस्थ को हटाने के क्या नियम हैं? क्या एक बार नियुक्त मध्यस्थ किसी पक्ष या न्यायालय द्वारा हटाया जा सकता है?
What are the rules regarding the removal of arbitrator? Can an appointed arbitrator be removed by any party or Court?
 4. मध्यस्थम् करार किसे कहते हैं? मध्यस्थम् करार की विवक्षित शर्तें क्या हैं?
What is meant by arbitration agreement? What are the implied conditions of arbitration agreement?
 5. क्या न्यायालय पंचाट को निरस्त कर सकता है? यदि हाँ तो किन आधारों पर? विवेचना कीजिए।
Whether the Court can set aside an Award? If so, on what grounds? Discuss.
 6. मध्यस्थम् करार के किसी पक्षकार के दिवालिया हो जाने पर मध्यस्थम् करार पर क्या प्रभाव होता है? विवेचना कीजिए।
What is the effect of insolvency of a party on arbitration agreement? Discuss.
 7. मध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत सुलहकर्ता की नियुक्ति एवं कार्यो संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
Describe the provisions relating to appointment and functions of conciliator under Arbitration and Conciliation Act, 1996.
 8. जेनेवा अभिसमय में विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन की शर्तों की व्याख्या कीजिए।
Explain the conditions for enforcement of foreign awards under Geneva Convention.
 9. वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि से आप क्या समझते हैं? विस्तार से बताइए।
What do you understand by alternative dispute resolution system? Explain in detail.
 10. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उद्देश्य एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
Describe the objects and scope of Legal Service Authority Act, 1987.